न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 143/21

1. किशनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मीरादेवी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. नेमाराम पुत्र भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भगवानाराम पुत्र भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. माणकराम पुत्र भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. रूपेश पुत्र भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. लाभुराम पुत्र भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मन्जु पुत्री भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मीरा पुत्री भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. सन्नु पुत्री भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. सुरजा पुत्री भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. सरोज पुत्री भीखी पिता भूराराम जाति जाट निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादीगण
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :– दिनांकः– 01/04/22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 263 दौ सौ तरेसठ तादादी 5.4380 पांच दशमलव चार तीन आठ जीरो हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण की 4/5 चार बट्टा पांच हिस्सा भूमि है जो इस खसरा में दक्षिणी साईड में आई हुई है तथा जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस वादगत खेत को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 15.08.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

खेत रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण ने वादगत भूमि में दक्षिणी साईड की अपनी हिस्सा भूमि अलग खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है। वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम दूंकर के खसरा संख्या 263 तादादी 5.4380 हेक्टेयर भूमि में दक्षिणी साईड की वादीगण की 4/5 हिस्सा भूमि अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner